APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा केम्प कोर्ट लाम्बा

नारायण पिता घासी जाट
निवासी– लाम्बा

बनाम भॅवर लाल पिता उगमा जाट
निवासी– लाम्बा

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53 रा.टी. ए. प्रकरण संख्या– 2411/2017

तारीख़ हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख़ अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.06.2018	प्रत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट लाम्बा पर पेश हुई, वकील वादी उपस्थित । प्रतिवादीगण अनुपस्थित । वकील वादी ने कथन किया गया कि मामला मात्र भूमि विभाजन का है आराजी मुतदाविया वादीगण व प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी की कब्जेकाश्त की आराजीयात है जिसमें वादी संख्या– 1 से 3 का 1/3 , वादी संख्या–4 का 1/3 व प्रतिवादी संख्या– 1 से 4 का 1/3, हक हिस्सा निहित है और इसी हक हिस्से के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है । उक्त आराजीयात सम्मिलित खाते में दर्ज होने से पक्षकारान के मध्य फसल काश्त करनें, फसल कटानें व लगान जमा करानें में काफी परेशानी रहती है इसलिये वादी उक्त आराजीयात का माफिक हिस्सा अच्छी से अच्छी व बूरी से बूरी भूमि का विभाजन करना चाहती है । अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर माफिक हक हिस्से के अनुसार भूमि का विभाजन किये जाने के आदेश फरमावें । मैने वकील वादी को सूना । बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्नानुसार रहा है । वादीगण के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 मौजा लाम्बा तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नं.– 190, 191, 192, 193, 194, 195, 510 किता 7 रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा भूमि भॅवरलाल , जमनालाल, शिवराज पिता उगमा , सायरी देवी बेवा उगमा, मिश्री पिता पोलू , नारायण , कालु पिता घासी , देउ बेवा घासी जाट सा. खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । यहॉ वादीगण का कथन है कि आराजी मुतदाविया सयुक्त खातेदारी की होने से फसल काश्त करनें, फसल काटनें, तथा लगान जमा करानें में काफी परेशानी आती है । इसलिये आराजीयात का माफिक हक हिस्सेनुसार अच्छी से अच्छी व बूरी से बूरी विभाजन कराना चाहती है । इसके विपरीत प्रतिवादीगण का कोई जवाब नही कोई काउण्टर शपथ पत्र नही ऐसी स्थिति में वादीगण के वाद की पृष्टि स्वतः ही हो जाती है ।	

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

चुँकि आराजी मुतदाविया के वादीगण खातेदार काश्तकार है और खातेदार को अपनी भूमि का विभाजन करानें का पूर्ण विधिक अधिकार होने से दावा वादी स्वीकार किये जानें योग्य है ।

::–निर्णय::–

दावा वादी प्राथमिक डिकी किया जाकर मौजा लाम्बा तहसील हुरडा की आराजी नं.– 190, 191, 192, 193, 194, 195, 510 किता 7 रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा भूमि के खातेदान काश्तकारान के मध्य उनके हक हिस्से के अंनुसार अच्छी से अच्छी व बूरी से बूरी भूमि व लगान विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हे । तहसीलदार हुरडा को निर्देश दिये जाते है कि वह आज ही भूमि व लगान का विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय लगान फाटनी प्रस्तुत करें । निर्णय आज 21.06.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट लाम्बा पर सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.06.2018

तहसीलदार हुरडा के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

1– भँवरलाल, जमनालाल, शिवराज पिता उगमा , सायरीदेवी पत्नि उगमा जाट, सा0 देह के हिस्से में –

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
लाम्बा	191/1	00 बीघा 04 बिस्वा	
	194/2	03 बीघा 02 बिस्वा	
	195/3	00 बीघा 17 बिस्वा	
	510/1	02 बीघा 15 बिस्वा	
कुल किता – 4		06 बीघा 18 बिस्वा	

2– मिश्री पिता पोलू जाट सा0 देह के हिस्से में रहन एस.बी.बी.जे. खारीग्राम गुलाबपुरा –

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
लाम्बा	191/2	00 बीघा 04 बिस्वा	
	192	02 बीघा 05 बिस्वा	
	193/1	00 बीघा 18 बिस्वा	

Scanned by CamScanner

	195/1	00 बीघा 16 बिस्वा		
	510/2	02 बीघा 14 बिस्वा		
कुल किता – 5		06 बीघा 17 बिस्वा		

3– नारायण , कालु, पिता घासी , देउ पत्नि घासी जाट, सा0 देह के हिस्से में रहन एस.बी.बी.जे. खारीग्राम गुलाबपुरा –

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
लाम्बा	191/3	00 बीघा 04 बिस्वा	
	193/2	02 बीघा 15 बिस्वा	
	194/1	00 बीघा 07 बिस्वा	
	195/2	00 बीघा 17 बिस्वा	
	510/3	02 बीघा 14 बिस्वा	
कुल किता – 5		06 बीघा 17 बिस्वा	

4– निम्न आराजीयात शामिल में रहेगी :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
लाम्बा	190	00 बीघा 05 बिस्वा	गे.मू.चाह
	191/4	00 बीघा 01 बिस्वा	
कुल किता – 2		00 बीघा 06 बिस्वा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया वक्त बहस वकील वादी ने कथन किया कि तहसीलदार हुरड़ा के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है वह मुताबिक निर्णय अनुसार तैयार किया गया है । जो स्वीकार फरमाया जावें ।

मैने भी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। तदनुसार तहसीलदार हुरड़ा से उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तथा इसी अनुरूप प्रकरण मे अंतिम डिक्री पर्चा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है । तद्नुसार अन्तिम डिक्री पर्चा तैयार किया जावें पत्रावली सुमार फेसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 21.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट लाम्बा पर सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एस.डी.ओ. गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner